न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 72/2024

प्रार्थीः–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

पूनमसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवसी ग्राम दरबला तहसील सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 84 व 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. प्रार्थी तहसीलदार सिवाना
2. विप्रार्थी पूनमसिंह

::आदेश::

दिनांकः– 03.09.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 व 86 के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया है प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम कुम्हारो की ढाणी तहसील सिवाना में खसरा संख्या 141 रकबा 10.9832 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है जो विप्रार्थी की खातेदारी भूमि है दिनांक 11.03.2024 व दिनांक 12.03.2024 को उक्त विवादित भूमि के खातेदार द्वारा अवैध रूप से वृक्ष कटाई की सूचना प्राप्त हुई हल्का पटवारी के मौका रिपोर्ट अनुसार विप्रार्थी द्वारा मौके पर 4 रोहिडे के वृक्ष तथा 25 नीम व खेजडी के वृक्ष अवैध रूप से कटाई की गई है,विप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के वृक्ष कटाई किये जाने से काटे हुए वृक्ष को कब्जे सरकार लिया गया, विप्रार्थी द्वारा विधि विरूद्ध वृक्ष कटाई की गई है लिहाजा विप्रार्थी को जुर्मना/शास्ति से अरोपित किया जावे तथा विप्रार्थी को उक्त कृत्य की पुनार्वति नही किये जाने हेतु पाबन्द किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified

विप्रार्थी उपस्थित । विप्रार्थी ने न्याय[illegible] आरोपित जुर्माना /शास्ति राज कोष में जमा करना स्वीकार [illegible]

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की एकपक्षी[illegible]

प्रार्थी की बहस है कि सरहद मौजा कुम्हारो की ढाणी तहसील सिवाना में खसरा संख्या 141 रकबा 10.9832 हैक्टेयर भूमि आई हुई, विप्रार्थी उक्त विवादित भूमि का रेकडेर्ड खातेदार है , विप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अनुमति के विवादित भूमि में अवस्थित 4 रोहिडा के

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

तथा 25 नीम व खेजडी के वृक्ष की कटाई कर दी । विप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के वृक्ष काटे जा गये है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियम विरूद्ध कटाई की गई है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उल्लंघनकर्ता विप्रार्थी के विरूद्ध जुर्माना एवं शास्ति लगाने व हटाये गये वृक्षों के बदले नये वृक्ष लगाये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के वृक्ष काटे गये है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियम विरूद्ध कटाई की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84–86 के तहत वृक्षों की अवैध रूप से कटाई होने अथवा वृक्ष हटाये जाने पर प्रति पेड़ 100/– रूपये मात्र जुर्माना/शास्ति आरोपित की जाकर एवं हटाये गये प्रति वृक्ष के बदले 10 वृक्ष लगाये जाने तथा भविष्य में बिना सक्षम अनुमति के वृक्ष नहीं काटे जाने का प्रावधान किया गया है।

विप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना राशि भरने तथा काटे गये वृक्षों के अनुपात मे नये वृक्ष लगाये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। उक्त स्थिति में तहसीलदार सिवाना से प्राप्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 84 व 86 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 84 व 86 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कुम्हारो की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 141 कृषि भूमि में बिना सक्षम अनुमति अवैध रूप से हटाये गये वृक्षों की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति वृक्ष 100/– रूपये मात्र जुर्माना/शास्ति आरोपित की जाती है तथा काटे गये वृक्षों की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति वृक्ष के बदले 10 नये वृक्ष लगाये जाने व उसे सवंर्धित करने हेतु विप्रार्थी को आदेशित किया जाता है। साथ ही भविष्य में बिना सक्षम अनुमति के किसी प्रकार के वृक्ष नहीं हटाये जाने बाबत् विप्रार्थी को पाबंद किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें तथा काटे गये वृक्षों की जुर्माना/शास्ति राशि [illegible] राजकोष में जमा करवाने हेतु संबंधित विप्रार्थी को पाबंद करते हुए [illegible] में पेश करने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.19 11:45:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना